।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला–दुर्ग ।।

प्ररूप–ङ
(नियम 7 (2) देखिये)
अनुमति

क्रमांक /1730/ प्र.02 / अ.वि.अ. / 2025 दुर्ग, दिनांक 15 / 07 / 2025

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम भिलाई
2. कार्यालय सहायक अभियंता
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
   नेहरू नगर जोन नगर संभाग भिलाई पश्चिम

मौजा– ग्राम जुनवानी, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विषय :– वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।
संदर्भ :– अति. तहसीलदार दुर्ग–01 का रा.प्र. क्रमांक 202410104700062 / अ–62 / सन् 2023–24.

.....00.....

विषयांतर्गत आवेदक खुसबू पिता स्व. भीमलाल दामले निवासी– मकान नं. 134, सड़क नं. 104 मॉडल टाउन भिलाई द्वारा अपने निवास स्थान के सामने स्थित विशालकाय पीपल वृक्ष जिसकी शाखाएं बड़ी होकर सुख गई है जिसके साथ बिजली का तार भी लगा हुआ है। आंधी तूफान से उक्त पेड़ के गिरने संभावना के कारण उक्त वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन पर अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक तथा वन विभाग से संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संबंधित विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिवत जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.07.2025 (प्राप्ति दिनांक 10.07.2025) प्रेषित किया गया है।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा सत्यापन कराया गया। जिसके अनुसार स्थल पर आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है– ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 43, रा.नि.मं. जुनवानी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1042/1 रकबा 0.0080 हे. भूमि आवेश पिता भीमराव, आशाबाई पति भीमराव के नाम पर दर्ज भूमि में आवसीय मकान के पश्चिम दिशा में पीपल वृक्ष स्थित है वृक्ष पुराना होने के कारण पूर्व दिशा आवेदक के आवासीय मकान के तरफ झुका हुआ है। वर्तमान में पेड़ हरा भरा है। पीपल वृक्ष से लगा हुआ विद्युत मंडल का घरलू विद्युत ओपन लाईन समीप से गया हुआ है विद्युत मंडल द्वारा विद्युत लाईन के समीप पीपल वृक्ष के शाखाओं को छटनी किया जाता रहा है पीपल पेड़ की मुख्य शाखा का झुकाव सी.सी.रोड एवं आवेदिका के भूखण्ड की ओर है भारी आंधी तूफान की स्थिति में मुख्य शाखा के टुटने की संभावना होना, प्रतिवेदित किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग का प्रतिवेदन दिनांक 08.07.2025 एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जुनवानी, प.ह.नं. 43, रा.नि.मं. जुनवानी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1042/1 रकबा 0.0080 हे. भूमि आवेश पिता भीमराव, आशाबाई पति भीमराव के नाम पर दर्ज भूमि में निर्मित आवसीय मकान के पश्चिम दिशा में स्थित विशालकाय पीपल वृक्ष स्थित है, जिसकी शाखाएं के समीप से विद्युत लाईन एवं आवेदक के मकान की ओर झुका होने से आधी तूफान में गिरने की संभावना को देखते हुये तथा पीपल वृक्ष सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले जीवनोपयोगी ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष है एवं उक्त वृक्ष के नीचे मंदिर स्थित होने के कारण उक्त पीपल वृक्ष को काटा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आंधी तूफान के कारण उक्त वृक्ष आवेदक के मकान एवं विद्युत लाईन को संभावना को देखते हुये वृक्ष कटाई अधिनियम 2022 में दिये गये प्रावधानों के तहत आवेदित वृक्ष की शाखाओं की छटाई किये जाने की अनुमति अभिव्यक्त की जाती है। आदेशानुसार आवेदित वृक्ष की छटाई कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुमति आदेश दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (stamp)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
दुर्ग 15/7/25
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner